(108)

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

जी.ई. रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)

(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित) फोन/फैक्स नं. 0771-2263214

ई-मेल healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक/ 602 /आयुष/अका./2013 रायपुर दिनांक 05/07/2013

अधिसूचना

विश्वविद्यालय की अध्ययन मण्डल में हुए निम्नलिखित निर्णयों को विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 07.01.2013 एवं प्रबंधन बोर्ड की बैठक 28.01.2013 में अनुमोदित कर दिया गया है। अतः महाविद्यालय नीचे उल्लिखित निर्णयों के अनुसार कार्यवाही करें :-

निर्णय :

(i) अभी तक विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में 05 अंक तक Grace marks किसी एक विषय मे ही प्रदान किये जाते हैं।

विद्या परिषद द्वारा सहमति दी गई कि ये 05 अंक दो विषयों तक बांटे जा सकते हैं।

यह सुविधा सभी faculties की परीक्षाओं में उपलब्ध होगी।

(ii) किसी परीक्षा मे फेल होने वाले विद्यार्थियों को अपना internal assessment बेहतर करने का अवसर दिया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक महाविद्यालय समय-समय पर आंतरिक परीक्षायें आयोजित करेगा।

यह सुविधा सभी faculties में उपलब्ध होगी।

(iii) वर्तमान में मेडिकल डेन्टल आयुर्वेदिक नर्सिंग तथा फिजियोथैरेपी की स्नातकोत्तर परीक्षाओं में पुनर्मूल्यांकन के विषय में कोई नियम नहीं है।

~~उक्त निर्णय लिया गया कि किसी भी स्नातकोत्तर परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन नहीं होगी।~~

(iv) प्रथम एम.बी.बी.एस. परीक्षा के बाद पुनर्मूल्यांकन का परीक्षाफल आते तक मूल परीक्षा के बाद 2-3 माह का समय लग जाता है। पुनर्मूल्यांकन करवाने वाले छात्रों को अगली कक्षाओं में उपस्थित होने का अधिकार नहीं होता।

निर्णय लिया गया कि वर्तमान नियमों के अंतर्गत किसी भी छात्र को 2 प्रश्नपत्रों तक पुनर्मूल्यांकन का अधिकार है। ऐसे छात्र जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदन किया है तथा वे शेष सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं, उनकी एक सूची बनायी जाये, जो कि संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता को प्रेषित की जाये। ऐसे छात्र द्वितीय एम.बी.बी.एस. की कक्षाओं में अस्थाई रूप से उपस्थिति देने के पात्र होंगे। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् उत्तीर्ण होने वाले छात्र द्वितीय एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई यथावत जारी रखेंगे। जो छात्र उत्तीर्ण नहीं होते हैं, पुनर्मूल्यांकन के परीक्षाफल घोषित होने के बाद कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकेंगे तथा उस दिनांक तक उनके द्वारा दर्ज की गई उपस्थिति भी निरस्त मानी जायेगी। वे छात्र जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदन दिया है, परन्तु आवेदित विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों में उत्तीर्ण नहीं है, द्वितीय एम.बी.बी.एस. की कक्षाओं में उपस्थित होने के पात्र नहीं होंगे।

कुलसचिव

पृ.क्रमांक/ 603 /आयुष/अका/2013 रायपुर दिनांक 05/07/2013

प्रतिलिपि :-

1. छ.ग. आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों को।
2. समस्त विभाग, आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कुलसचिव